निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 547) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2016

सं० 2/सी0– 1062/2010 –11447–सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
7 अगस्त 2015

श्री अरविन्द कुमार मिश्र (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 719/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर, मधुबनी सम्प्रति जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद के विरूद्ध फसल क्षति मुआवजा में बरती गयी अनियमितता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद मुख्यालय में नहीं रहकर झंझारपुर में रहने के प्रतिवेदित आरोप के लिए आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1430 दिनांक 10.06.2010 द्वारा प्राप्त हुआ। श्री मिश्र से विभागीय पत्रांक 7170 दिनांक 23.07.2010 द्वारा उक्त आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री मिश्र के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 15.03.2011 में कहना है कि लाभार्थी के संबंधी को नाजिर के द्वारा किये गये पहचान के आधार पर लाभार्थी के मुआवजा का भुगतान एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया गया। लाभार्थी से उक्त चेक की प्राप्ति से संबंधित सूचना भी प्राप्त कर ली गयी। आरोप संख्या– 02 के संबंध में इनका कहना है कि परिवार के सभी सदस्य अलग–अलग बंटे हुए है और अलग–अलग रहते हैं और विवेक झा द्वारा प्राप्त किये गये चेक सभी लाभार्थियों को प्राप्त हो गये थे जिसकी पुष्टि लाभार्थियों महेन्द्र झा, उर्मिला देवी एवं शत्रुध्न झा द्वारा लिखित रूप में की गयी है। साथ ही यह भी कहना है कि वितरण हेतु तैयार किये गये प्रतिवेदन पर राजस्व कर्मचारी सुरेन्द्र प्रसाद का प्रतिवेदन अंकित है, जो पंचायत के अनुश्रवण समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एवं अनुमोदित है। साथ ही यह जनसेवक रामचरित्र सिंह एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्री विनय कुमार पाठक द्वारा सत्यापित है। आरोप संख्या– 03 के संबंध में कहा गया है कि प्रतिवेदन अलग–अलग तैयार किया गया था जिस कारण से तत्कालीन भीषण बाढ़ के दौरान फसल क्षति के व्यापक वितरण में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पंचायतों में जमीन रखने वाले लाभार्थी के समग्र राशि को एकीकृत कर नहीं देखा जा सका। विभागीय निदेश के अनुसार एक रैयत को अधिकतम 5 एकड़ पर 8,000/– रू0 देय है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यह सभी पंचायतों या सभी अंचलों सभी जिलों को मिलाकर होगा। आरोप संख्या– 04 के संबंध में अंकित किया है कि संयुक्त परिवार को 11 बीघा 4 कट्ठा जमीन है, जिसमें बौआ मिश्र एवं सुशील मिश्र अलग–अलग परिवार के हैं। राजस्व कर्मचारी/पंचायत अनुश्रवण समिति के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में दोनों को अलग–अलग परिवार मानकर भुगतान किया गया है। आरोप संख्या– 05 के संबंध में स्पष्ट किया है कि इन्हें सूचना नहीं रहने के कारण इनके द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। आरोप संख्या–06 के संबंध में कहा है कि उनका आवास झंझारपुर आर0एस0 नामक स्थान में था, जो लखनौर प्रखंड के अंतर्गत ही स्थित है। उक्त आधार पर इनके द्वारा दोषमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

विभागीय पत्रांक 5756 दिनांक 23.05.2011 द्वारा श्री मिश्र के उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 3677 दिनांक 21.10.2011 द्वारा श्री मिश्र के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा गठित मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री मिश्र के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं होने का निष्कर्ष प्रतिवेदित किया गया।

श्री मिश्र के स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी के मंतव्य की समीक्षा के उपरांत श्री मिश्र के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7985 दिनांक 12.06.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा का उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 1037 दिनांक 10.11.2014 द्वारा प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि आरोप संख्या– 01, 04, 05 एवं 06 का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है तथा आरोप संख्या– 02 एवं 03 का स्पष्टीकरण आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया गया है।

आरोप सं0–2, एक ही परिवार के श्री महेन्द्र झा पे0–फौदार झा, श्री विवेकानन्द झा पे0–महेन्द्र झा, उर्मिला देवी पति–महेन्द्र झा, शत्रुघ्न झा पे0–महेन्द्र झा को फसल क्षति मुआवजा का भुगतान किये जाने से संबंधित है, जिसमें सभी फसल क्षति मुआवजा के भुगतान का चेक एक ही व्यक्ति, श्री विवेकानन्द झा पिता–श्री महेन्द्र झा के द्वारा प्राप्त किया गया है। इसमें भुगतान से संबंधित आवेदन पर राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का क्षतिग्रस्त रकबा के संबंध में कोई प्रतिवेदन/सत्यापन अंकित नहीं रहने के बावजूद भुगतान किये जाने का आरोप है। आरोप सं0–3, श्री विश्वमोहन सिंह पे0–ब्रजभूषण सिंह को ग्राम पंचायत–गंगापुर एवं लखनौर से अर्थात् एक से अधिक पंचायतों में फसल क्षति के मुआवजा का भुगतान करने का आरोप है।

विभागीय पत्रांक 1553 दिनांक 28.01.2015 द्वारा श्री मिश्र से आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री मिश्र ने पत्रांक 317 दिनांक 18.02.2015 द्वारा सूचित किया कि जाँच प्रतिवेदन के सभी पृष्ठों की छायाप्रति उपलब्ध नहीं हुई है, इसलिए सभी पृष्ठों की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय। विभागीय पत्रांक 3696 दिनांक 10.03.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की सभी पृष्ठों की छायाप्रतियाँ भेजते हुए श्री मिश्र को अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक 8689 दिनांक 16.06.2015 द्वारा स्मारित भी किया गया, किन्तु श्री मिश्र के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया।

श्री मिश्र को अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु सूचना दिये जाने तथा विधिवत् तामिला कराये जाने के बावजूद अभ्यावेदन समर्पित नहीं किये जाने से यह स्पष्ट है कि आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या 02 एवं 03 के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अरविन्द कुमार मिश्र (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 719/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर, मधुबनी सम्प्रति जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवली, 2005 के नियम 14 (समय–समय यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत ''**तीन वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक**'' का दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरविन्द कुमार मिश्र (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 719/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर, मधुबनी सम्प्रति जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद के विरूद्ध ''**तीन वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक**'' का दण्ड देते हुए संसूचित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 547-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in